# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 12/2023

राजाराम पुत्र मघाराम जाति जाट उम्र 73 वर्ष निवासी चक 11 एल एन पी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर हांल आवाद वार्ड नम्बर 10, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट**

–:: उपस्थिति ::–

1. श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. पैरोकार राज – – अप्रार्थी 1

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीगंगानगर (राज.)

## – :: निर्णय ::–

दिनांक :–29.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 17 एम एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 227/159 के पत्थर नम्बर 0 के मु.न. 1 के किला नम्बर 24/2 में 0.0160 हैक्टर नहरी व किला नम्बर 25/2 में 0.0220 हैक्टर इस प्रकार से कुल 0.0380 हैक्टर नहरी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है नकल मौजूदा जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 संलग्न प्रार्थना पत्र है । 3. यह कि उपरोक्त रकबा प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है वह व पूर्व में मुझ प्रार्थी को स्मॉलपेंच में दिनांक 03.06.1976 को आंवटन हुआ था व जिसकी समस्त तमाम राशि जमा होने के उपरांत जिलाधीश श्रीगंगानगर के द्वारा सनद संख्या 25904 दिनांक 28.03.1985 को जारी कर दी गई थी । जिस अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के लिए पटवारी हल्का के द्वारा इंतकाल संख्या 307/दिनांक 02.12.1999 को स्वीकृत हुआ जो जमाबंदी सम्वत् 2056 से 2059 खातेदारी दर्ज हुआ। नकल सनद की फोटो कॉपी व इंतकाल जमाबंदी की फोटों कांपी साथ संलग्न प्रार्थना पत्र है। सम्वत् 2056 से 2059 की जमाबंदी के बाद जो नई जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2067 तैयार की गई उसमें सहवनवंश खातेदारी के स्थान पर गैर खातेदारी दर्ज कर दिया गया। जिसकी फोटों कांपी साथ संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी आज से 20 रोज पूर्व पटवारी हल्का से मौजूदा जमाबंदी प्राप्त की ताकि इस रकबा पर सौर ऊर्जा का कनैक्शन ले सके तब प्रार्थी को जमाबंदी देखने पर ज्ञात हुआ कि उक्त रकबा जो पूर्व में खातेदारी था अब यह रकबा राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज है। पूर्व की नकलें जमाबंदी देखने पर ज्ञात हुआ कि किस प्रकार सहवनवंश खातेदारी की जगह गैर खातेदारी दर्ज हो गया। प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार को कई बार मौखिक निवेदन किया गया कि वह सहवनवंश हुई त्रुटि को दुरुस्त कर दे पहले तो वह आजकलकृ आजकल करते रहे तथा आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि यह दुरूस्ती करने का अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है आप सक्षम अधिकारी से दुरूस्त करवाकर आदेश ला दो । मैं इस रिकार्ड की गलती को दुरुस्त नहीं करता तुम्हे जो करना है सो करो बस यही बिनाए प्रार्थना पत्र है जो कि प्रार्थी को अप्रार्थी के खिलाफ हासिल हुआ है। प्रार्थन पत्र

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर



Scanned with OKEN Scanner

श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार का है जो कि उचित कोर्ट फीस पर समयवधि में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 17 एम एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 227/159 के पत्थर नम्बर 0 के मु.न. 1 के किला नम्बर 24/2 में 0.0160 हैक्टर नहरी व किला नम्बर 25/2 में 0.0220 हैक्टर इस प्रकार से कुल 0.0380 हैक्टर नहरी रकबा को खातेदारी दर्ज किया जावे, अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत मुझ प्रार्थी के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 3571 दिनांक 26.06.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार मुताविक जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी चक 17 एमएल खाता संख्या 227 मु.नं. 1 किला नं. 24/2(0.016), 25/2(0.022) कुल 0.088 हैटर नहरी राजाराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी 11 एलएनपी गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तरण संख्या 1 से आदिनांक तक अवलोकन करने पर पाया कि जरिये नामा. संख्या 307 खातेदारी उक्त रकबा श्रीमान् जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर के आदेश सनद संख्या 25904 दिनांक 28.08.1985 की पालना में अमर दरामद हुआ। उक्त नामा. संख्या 307 को आगामी जमाबंदी संवत 2064–67 में शामिल नहीं किया गया है और सहवन से अंकन गैर खातेदार यथावत रहा। जो कि वर्तमान जमाबंदी में आदिनांक तक यथावत ही गैर खातेदार चला आ रहा है। उक्त रकाब पर मौके पर कोई विवाद नहीं है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत् 2072–75, प्रमाणित प्रति सनद संख्या 25904 दिनांक 28.03.85 बहक राजाराम, फोटो प्रति इंतकाल जमाबंदी, प्रमाणित प्रति जमाबंदी 2064–2067 का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया गया।

## –:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर चक 17 एम एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 227/159 के पत्थर नम्बर 0 के मु.न. 1 के किला नम्बर 24/2 में 0.0160 हैक्टर नहरी व किला नम्बर 25/2 में 0.0220 हैक्टर इस प्रकार से कुल 0.0380 हैक्टर गैरखातेदारी रकबा को खातेदारी रकबा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner